



Neutral Citation No. - 2026:AHC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19481 सन् 2025

रवींद्र सिंह यादव और 23 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

गुंजन शर्मा, नमित कुमार शर्मा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री नमित कुमार शर्मा और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार द्वारा निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि वे निर्देशों से भलीभांति परिचित हैं और ये निर्देश रिट याचिका के निस्तारण के लिए पर्याप्त हैं। वे कोई और शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः पक्षकारों की सहमति से रिट याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. रिट याचिकाकर्तागण का कहना है कि संसद ने "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005" नामक एक अधिनियम बनाया और इसके उद्देश्य और लक्ष्यों को प्रभावी बनाने के लिए दिशा-निर्देश भी तैयार किए गए। 3 सितंबर, 2007 को एक शासकीय आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार उस विशेष ब्लॉक की ग्राम पंचायत में कार्यरत तकनीकी सहायकों का तबादला एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में कर दिया गया। इस तबादले को रिट ए संख्या 9413/2022 में चुनौती दी गई थी, जिसमें तबादलों के आदेशों पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद फिर से आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जिसके तहत याचिकाकर्तागण को 11.12.2025 को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरित कर दिया गया है।

4. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 03.09.2007 के शासकीय आदेश के खंड-10 (घ) के अनुसार, याचिकाकर्तागण जैसे तकनीकी सहायकों की तैनाती उनके संबंधित मुख्यालयों, अर्थात् क्षेत्र पंचायत विकास खंड में ही होनी चाहिए। उनका कहना है कि स्थानांतरण आदेश तभी जारी किया जा सकता है जब किसी तकनीकी सहायक के विरुद्ध शिकायत हो। उनका यह भी कहना है कि याचिकाकर्तागण का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता क्योंकि वे संविदा कर्मचारी हैं। उन्होंने दिनांक 18.10.2023 को दिए गए **रिट-ए संख्या 5473/2022 (चंद्रेश कुमार पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य)** के फैसले का हवाला दिया है।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण के दावे का प्रथम दृष्ट्या द्वितीय प्रत्यर्थी, जिला मजिस्ट्रेट/जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा, मऊ द्वारा निर्णय किया जाना आवश्यक है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनी है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

7. **चंद्रशेखर कुमार पाल (उपरोक्त)** प्रकरण में निम्नलिखित आदेश दिए गए थे:

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विपक्षी पक्षों के विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचिका दिनांक 30 जून, 2022, 18 अगस्त, 2022 और 25 जनवरी, 2021 के आदेशों को

चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिनके तहत याचिकाकर्ता का उसी जिले के एक ब्लॉक से अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दूसरे ब्लॉक में तबादला किया गया है और साथ ही उसे कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त किया गया है। दिनांक 25 जनवरी, 2021 के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह दिनांक 3 सितंबर, 2007 के शासकीय आदेश के विपरीत है। दिनांक 3 सितंबर, 2007 के शासकीय आदेश का अनुच्छेद 10(घा) इस प्रकार है:-

"तकनीकी सहायको का मुख्यालय सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड होगा।"

3. यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि शासकीय आदेश में याचिकाकर्ता जैसे तकनीकी सहायकों की नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट रूप से एक विशिष्ट प्रावधान दिया गया है, इसलिए अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा आक्षेपित आदेशों के माध्यम से इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, जो कि क्षेत्राधिकार से बाहर हैं।

4. सरकारी अधिवक्ता ने अपने प्रतिवाद शपथपत्र के आधार पर यह तर्क दिया है कि जिले में तकनीकी सहायकों के पद रिक्त होने के कारण, इन रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से तकनीकी सहायकों से समायोजन हेतु विकल्प प्राप्त किए गए थे, जिसके बाद उनकी पसंद के आधार पर ही पदस्थापन किया गया है, जैसा कि याचिकाकर्ता के प्रकरण में प्रशासनिक कार्य के हित में उनकी स्वयं की पसंद के आधार पर किया गया है। यह भी कहा गया है कि 3 सितंबर, 2007 के शासकीय आदेश के खंड 13 के तहत वित्तीय अनियमितता के लिए तकनीकी सहायकों को हटाने का प्रावधान है, लेकिन याचिकाकर्ता को उनकी सहमति से माधोगंज ब्लॉक से संडीला ब्लॉक में समायोजित किया गया है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि 3 सितंबर, 2007 के शासकीय आदेश के अनुच्छेद 10(घा) में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को मनरेगा योजना के अंतर्गत तकनीकी सहायक के पद पर केवल उसी ब्लॉक में तैनात किया जाना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई है। इसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता को उसके मूल स्थान पर तैनात किया गया था, लेकिन बाद में कथित तौर पर उसकी अपनी सहमति से उसे कहीं और समायोजित/स्थानांतरित कर दिया गया है।

6. यह सर्वविदित कानून है कि कानून के विरुद्ध कोई रोक नहीं हो सकती और एक बार जब 3 सितंबर, 2007 के शासकीय आदेश में याचिकाकर्ता की तैनाती के लिए एक विशेष स्थान निर्धारित कर दिया गया है, तो अधीनस्थ अधिकारी प्रशासनिक आदेश पारित करते समय उससे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचलित नहीं हो सकते। ऐसा विचलन स्पष्ट रूप से अधिकारियों के पदानुक्रम के विरुद्ध है और कानून के प्रावधानों के विरुद्ध है।

7. राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत 3 सितंबर, 2007 के शासकीय आदेश का अनुच्छेद 13 वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होता है, क्योंकि यह तकनीकी सहायक को वित्तीय अनियमितता के कारण हटाने से संबंधित है। वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का कोई आरोप नहीं है और इसलिए इस न्यायालय की राय में, 3 सितंबर, 2007 के शासकीय आदेश का खंड 13 विपक्षी पक्षों को याचिकाकर्ता को किसी अन्य ब्लॉक में स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं देता है, जैसा कि आक्षेपित आदेशों द्वारा किया गया है।

8. यह भी स्पष्ट है कि समान परिस्थितियों में, ऐसे स्थानांतरण आदेशों को रिट याचिका संख्या 19509 (एस/एस) 2018 और रिट ए संख्या 14905 2018, उमा शंकर गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में पारित दिनांक 30 अगस्त 2018 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया है।

9. उपरोक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि 3 सितंबर, 2007 के शासकीय आदेश के अनुच्छेद 10 (घ) के अनुसार याचिकाकर्ता को निर्दिष्ट स्थान पर तैनात किया जाना आवश्यक था और ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसके तहत उसका स्थानांतरण किया जा सकता था।

10. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 30 जून, 2022, 18 अगस्त, 2022 और 25 जनवरी, 2021 के आक्षेपित आदेशों को निरस्त किया जाता है और विपक्षी पक्षों को याचिकाकर्ता को उसके मूल ब्लॉक यानी माधोगंज में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश देने के लिए सर्टिओरारी रिट और परमादेश रिट जारी की जाती है।

11. परिणामस्वरूप याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है।

8. हालांकि मुख्य विकास अधिकारी, मऊ के विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्देशों के अनुसार, शिकायतें होने पर ही स्थानांतरण प्रभावी किया जा सकता है, लेकिन विचाराधीन आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्तागण के विरुद्ध कोई शिकायत है, इसलिए इस प्रकरण का निर्णय प्रथम दृष्ट्या द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा किया जाना आवश्यक है।

9. इस निवेदन पर याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. दोनों पक्षों की दलीलों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्तागण को द्वितीय प्रत्यर्थी के समक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है। द्वितीय प्रत्यर्थी 22.01.2026 तक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्तागण के दावे का निर्णय करेगा। यदि द्वितीय प्रत्यर्थी का मत है कि प्रकरण का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

11. जब तक इस अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं हो जाता, रिट याचिकाकर्तागण को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें पहले से कार्यमुक्त नहीं किया गया हो।

12. आज दाखिल किए गए निर्देश परिशिष्ट क के रूप में अभिलेख में दर्ज किए जाते हैं।

13. याचिकाकर्तागण द्वारा उपरोक्त उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में, संरक्षण लागू नहीं होगा।

14 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)